प्रकरण संख्या :-111/2020

प्रकरण निर्णय दिनांक:-17.08.2023

उनवान- उमाकान्त वगै. बनाम कन्हैया वगै.

दावा तकासमा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

"प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा. दी."

निर्णय दिनांक 17.08.2023

प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया कि वादपत्र वादीगण गलत एवं झूंठे तथ्यों पर पेश किया गया है। जिसमें प्रतिवादी सं. 04, 11 व 19 को जीवित बताते हुए पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। जबकि उक्त प्रतिवादी सं. 04, 11, व 19 वादपत्र प्रस्तुत करने से करीब 04 से 07 वर्ष की अवधि पूर्व फौत हो चुके हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकता। इसलिए वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है। वादीगण जो अर्सा बीसों वर्षों से गॉव बडियालकलां में निवास नहीं कर अन्यत्र निवास कर रहे हैं जिन्होने केवल जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों के नामों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। चूंकि मृत व्यक्ति को पक्षकार मुकदमा बनाया है इसलिए वाद पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि वादपत्र मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया है। इसलिए खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में कथन किया कि वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी का अवलोकन कर जमाबन्दी में वर्णित नामों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है वादीगण को प्रतिवादी सं. 04, 11, 19 की दावा दायरी से पूर्व मृत्यु की कोई जानकारी नहीं रही। प्रतिवादीगण द्वारा मृत्यु की सूचना देने के बाद वादीगण द्वारा दिनांकः 24.09.2022 को अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा.दी. का प्ररतुत कर कथन किया कि उक्त प्रतिवादीगण के वारिसान की जानकारी वादीगण को उपलबध करवायी जावे जिससे वादीगण मृतक के वारिसानों को सूचना जारी कर प्रकरण में पक्षकार प्रतिवादी बनाये जावे। वादीगण ग्राम बडियालकलॉ के निवासी हैं किन्तु अपना व्यवसाय हेतु अजमेर, भीलवाडा रहते हैं तथा समय-समय पर अपने गॉव भी आते हैं। भूमि पक्षकारान की शामलाती भूमि है जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण की जाति ब्राह्मण से जाति माली अंकित कर दी तथा भूमि शामलाती होने से वादीगण द्वारा शामलाती भूमि के विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया है। कानून का यह सुस्थापित नियम है कि विभाजन हेतु वाद अबैट नहीं होता और विभाजन तक वाद हेतुक उत्तर जीवित रहता है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर बहस उभयपक्ष वकील सुनी। उभयपक्ष वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी., जवाब प्रार्थना पत्र व वादीगण वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन से प्रकट है कि वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी सं. 04, 11 व 19 को जीवित बताते हुए पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी कथन किया है कि वादीगण द्वारा राजस्व जमाबन्दी में वर्णित नामों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है वादीगण को प्रतिवादी सं. 04, 11, 19 की दावा दायरी से पूर्व मृत्यु की कोई जानकारी नहीं रही। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा केवल जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों के नामों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद में मृत व्यक्तियों को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है जो कि विधि संगत नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दावा तकारमा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(नि[illegible] कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
वांदीकुई

Scanned with CamScanner